पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 मई, 2017 ई0 (बैशाख 23, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–19

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	475–497	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	137–140	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां – ...	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा अनुभाग–3

अधिसूचना

26 अप्रैल, 2017 ई0

संख्या 370/XXVIII-3-2017-100/2009(टी0सी0)–खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 70 के प्राविधानानुसार देहरादून में स्थापित अपीलीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी की तैनाती हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा संस्तुत श्रीमती कहकशा खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चमोली को दिनांक 01–05–2017 से खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, देहरादून में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. नवनियुक्त पीठासीन अधिकारी की सेवा के निबन्धन और शर्ते खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2011 के नियम 3.2.2 के अनुसार अनुमन्य होगी।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

02 मई, 2017 ई0

संख्या 92/XIX–1/16–41/2014–श्री राज्यपाल महोदय, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा) समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली 2017

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा) सेवा नियमावली 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा) सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क" एवं "ख" के पद सम्मिलित है।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी से जिला पूर्ति अधिकारी, उपायुक्त, संयुक्त आयुक्त, अपर आयुक्त के सम्बन्ध में राज्यपाल से है और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के सम्बन्ध में आयुक्त अभिप्रेत है।

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(ग) " आयोग" से लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।
(घ) "आयुक्त" से आयुक्त, खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।
(ड) "संविधान" से भारत के संविधान अभिप्रेत है।
(च) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।
(छ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।
(ज) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।
(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा)सेवा से है।
(ञ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।
(त) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो – संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या परिशिष्ट "क" में दी गई है।

परन्तु :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन – भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. सेवा के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी।–

(1) क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे खाद्य निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(2) जिला पूर्ति अधिकारी– (एक) 50 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(दो) 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष की प्रथम दिवस को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी की हो, आयोग के परामर्श से वरिष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।

(3) उपायुक्त खाद्य– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी जिला पूर्ति अधिकारी जिन्होनें भर्ती के वर्ष की, प्रथम तिथि को इस रूप में, न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(4) संयुक्त आयुक्त खाद्य– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे, उपायुक्त खाद्य, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 03 वर्ष की सेवा सहित कुल 13 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(5) अपर आयुक्त खाद्य– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे, संयुक्त आयुक्त खाद्य, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
एक पद आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग का होगा।

आरक्षण 6– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार– अर्हता

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी –
(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या
(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका तथा केन्या, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो— परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये भी महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामलें मे पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता 8. सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिए:–

पद– जिला पूर्ति अधिकारी **अर्हता–** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

अधिमानी अर्हता 9. **अभ्यर्थी जिसने–**
(1) **प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या**
(2) **नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुये भी सीधी भर्ती के मामलें में इस नियमावली के नियम 15 के अनुसार अधिमान दिया जायेगा।**

आयु 10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, भर्ती के वर्ष के 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए।
परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसे श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामलें में जिन्हे सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र 11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वंय समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में **किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के अपराध में सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नही होंगे।**

वैवाहिक प्रास्थिति

12. नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नही होगी।

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यता

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नही किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नही है और किसी ऐसे शरीरिक दोष से मुक्त नही है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व उससे–

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद् की स्वास्थय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी,

(ख) सेवा में अन्य पदो के मामलें में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है :–

परन्तु, पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिये स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नही होगा।

भाग पाँच – भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15 (क) आयोग प्रतियोगितात्मक परीक्षा के प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। आवेदन पत्र नियत प्रपत्र में दिये जायेंगे।

(ख) आयोग द्वारा जारी प्रवेश–पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नही दिया जायेगा।

(ग) आयोग प्राप्त आवेदन पत्रों का परिनिरीक्षण करेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को, जो इस नियमावली के अधीन भर्ती के योग्य हों, परीक्षा में प्रवेश देगा।

(घ) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात् आयोग नियम–06 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों।

(ड) साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थियों को प्रदान किये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हों, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा।

(ञ) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(च) यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक हों तो अधिमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा और यदि अधिमानी अर्हता भी समान हो तो अधिक अधिमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(छ) अधिमानी अर्हता के समान होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा और यदि आयु भी समान हो तब सूची में नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखे जायेंगे।

आयोग सूची नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी– प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेगें।

लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत आने वाले पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया।

16 (1) जिला पूर्ति अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, "समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 2003" के अनुसार की जायेगी।

लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16 (2) पदोन्नति के प्रायोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) अपर आयुक्त खाद्य (आपूर्ति) के पद पर भर्ती उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 2002 में उल्लिखित सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

(ख) संयुक्त आयुक्त तथा उपायुक्त खाद्य के पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसका गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

(एक) प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष
(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से निम्न ना हो – सदस्य
(तीन) आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तराखण्ड – सदस्य

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की अलग–अलग पात्रता सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा, और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो आवश्यक समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(घ) चयन समिति उपनियम (v) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भी कर सकती है।

(ङ) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची–17 यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी, जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15(2) एवं 15(3) यथास्थिति के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 17 के अनुसार संयुक्त सूचियाँ तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उप नियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और जहाँ पद आयेगा के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के प्राविधान लागू होंगे।

परिवीक्षा 19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिससे ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या वह सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।

स्थायीकरण 20. (1) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि :-

(क) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक बताया जाय।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता 21. किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा :

(1) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(2) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(3) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 20 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे :

परन्तु उपबन्ध यह है कि –

(एक) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती है वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में, जिनमे कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हों, नीचे कर दी जायेगीं।

(दो) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती है और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाती है, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नही मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गई। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम मे अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(तीन) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों मे किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती है, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गई है।

भाग सात– वेतन इत्यादि

वेतनमान

22. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत वेतनमान परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है :–

परिवीक्षा के दौरान वेतन

23.(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी।

परन्तु उपबन्ध यह है कि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग आठ – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थपन 24. किसी पद या सेवा या लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयो का विनियमन 25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति जो राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्य या लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलीकरण 26. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय–संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति 27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबंधित करना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट– 'क'
(नियम–4(2))

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	अपर आयुक्त (खाद्य)	2	–	2 (एक पद आई0ए0एस/पी0सी0एस0 संवर्ग का होगा।)
2	संयुक्त आयुक्त (खाद्य)	2	–	2
3	उपायुक्त (खाद्य)	3	–	3
4	जिला पूर्ति अधिकारी	13	–	13
5	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	61	–	61

परिशिष्ट– 'ख'
(नियम–4(2))

क्र0सं0	पद का नाम	वेतनमान		
		वेतन बैण्ड का नाम	वेतन बैण्ड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)
01	अपर आयुक्त (खा0)	वेतन बे–4	37400–67000	8700
02	संयुक्त आयुक्त (खा0)	वेतन बे–3	15600–39100	7600
03	उपायुक्त (खा0)	वेतन बे–3	15600–39100	6600
04	जिला पूर्ति अधिकारी	वेतन बे–3	15600–39100	5400
05	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	वेतन बे–2	9300–34800	4600

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 92/XIX-1/17-41/2014, Dehradun, dated May 02, 2017 for general information:

NOTIFICATION

Miscellaneous

May 02, 2017

No. 92/XIX-1/17-41/2014--In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution and in supperssion of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased, to make the following rules regulating recruitment and condition of Service of persons appointed to the Uttarakhand Food and Civil Supply Department (Supply Branch) Service recruitment rules:--

UTTARAKHAND FOOD AND CIVIL SUPPLY DEPARTMENT (SUPPLY BRANCH) GROUP 'A' & 'B' SERVICE RULE, 2017

PART I
GENERAL

Short title and commencement:- 1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Food and Civil Supply Department (Supply Branch) Service rules, 2017.

(2) It shall come into force at once.

Status of Service: 2. The Uttarakhand Food and Civil Supply Department (Supply Branch) Service is State service, which comprises Group 'A' & 'B' posts.

Definitions:- 3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or content –

(a) "Appointing Authority" means Governor for District Supply officer, Deputy Commissioner, Joint Commissioner, Additional Commissioner. Appointing Authority means Food Commissioner for Area Rationing Officer.

(b) "citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(c) "Commission" means the Public Service Commission of Uttarakhand.

(d) "Commissioner" means the Commissioner Food and Civil Supply Department of Uttarakhand.

(e) "Constitution" means the Constitution of India;

(f) "Government" means the State Government of Uttarakhand;

(g) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;

(h) "member of service" means a person appointed in substantive capacity under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(i) "service" means the Service of Food and Civil Supply Department (Supply Branch) Uttarakhand;

(j) "Substantive appointment" means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the Service made after selection in accordance with the rules, and if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government; and

(k) "Year of recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II
CADRE

Cadre of Service:-

4. (1) The strength of the service and of each category of post shall be such as may be determined by the Governor from time to time.

(2) The strength of the Service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) shall be as given in Appendix 'A'.

Provided that ;

(1) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without entitling any person to payment or compensation.

(2) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III
RECUIRTMENT

Source of Recruitment

5.

1.	Area Rationing Officer	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst the permanent supply inspectors who have completed 5 years of service from the first day of the year.

	2. District Supply Officer	(1) 50 percent by direct recruitment through the Commission. (2) 50 percent by promotion in consultation with the commission on the basis of seniority among those Area Rationing Officers, who have completed a minimum of 5 years of service from the first day of the year of recruitment.
	3. Deputy Commissioner Food	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst the permanent District Supply Officer who have completed a minimum of 5 years of service from the first day of the year of recruitment.
	4. Joint Commissioner Food	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst the Deputy Commissioner food who have completed 03 years of satisfactory service including a minimum of total 13 years of service from the first day of the year of recruitment.
	5 Additional Commissioner Food	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst the Joint Commissioner food who have completed 02 years of satisfactory service including a minimum of Total 16 years of service from the first day of the year or recruitment. One post shall be amongst the cadre of IAS/PCS.
Reservation	6.	Reservations belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the government in force at the time of the recruitment.

PART IV
QUALIFICATIONS

Nationality:-

7. A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be-

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before 1st January,1962, with the intention of permanently settling in India; or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in Service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note: a candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification:-

8. A candidate for the recruitment to the various post in the service must possess the following qualifications:

POST- District Supply Officer	Qualification- Graduate degree from a recognised University.

Preferential Qualification:-

9. A candidate who has-

(1) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(2) Obtained a 'B' certificate or 'C' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment according rule 15 of these rules.

Age: -

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 42 years on July 1 for the calendar year in which the posts are advertised.

Provided that the upper age-limit in the case of candidate belonging to the Scheduled casts, Scheduled tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character: -

11. The character of the candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Services. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note: Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status:-

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man, already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Governor may, if satisfied that there exists special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness:- 13. (a) No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required:-

(b) in the case of Gazetted post or service, to pass an examination by a Medical Board;

(c) in the case of other posts in the Service to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand Book, Volume II Part II.

Provided that a medical certificate of fitness shall not be the Financial Hand Book, Volume II Part II.

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V
PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT

Determination of vacancies: - 14. The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, back ward classes and other categories under Rule 6.

Procedure for direct recruitment 15. (a) Application for permission to appear in the competitive examination shall be called by the Commission in the prescribed form.

(b) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.

(c) The Commission shall scrutinize the received application forms and such candidates who is eligible to recruits under these rules shall be given admission in the examination.

(d) After the results of the written examination has been received and tabulated, the Commission shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories of the candidates under Rule 6, summon for interview in such number of candidates as, who reached prescribed lable by the Commission in this regard.

(e) The marks awarded to each candidate at the interviews shall be added to the marks obtained by him in the written examination. The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment.

(f) If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list.

(g) If two or more candidates obtain equal marks in the written examination the name of the candidates holding preferential qualification shall be placed higher and if preferential qualification if also equal than higher essential qualification holders candidates shall be placed higher in the list.

(h) If the essential qualification is equal than senior in the age shall be placed higher in the list and the age is also equal than the name of candidate shall be placed according the English alphabet.

Note-- The syllabus and rules for competitive examination shall be such as may be prescribed by the Commission from time to time.

Procedure for recruitment by promotion under the purview of Pubilc service Commission

16(1) Recruitment by promotion on the post of District supply officer shall be made in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003 (as amended time to time).

Procedure for recruitment by promotion outside the purview of Public service Commission

16(2) For the purpose of recruitment, there shall be constituted a Selection Committee comprising--

(a) Recruitment by promotion to the post of Additional Commissioner Food (Supplies) (on posts outside the purview of the Public Service Commission as per Rule-2002) by the Departmental Selection Committee, Constituted by Departmental Selection Committee.

(b) Selection committee. There shall be Constituted a Selection Committee Comprises:-

(i) Principal Sec./Sec. Food Dept. Uttarakhand Govt. - Chairman

(ii) An officer not below the rank of Joint Sec. appointed by Principal Sec./Sec. Personnel Dept. Uttarakhand Govt. - Member

(iii) Commissioner, Food & Civil Supplies , Uttarakhand - Member

(c) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, as may be considered proper.

(d) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records referred to in Sub-rule (c), and if it considers necessary, it may also interview the candidates.

(e) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the Appointing authority.

Combined select list

17. If in any year of recruitment appointment are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists; in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART VI
APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment:-

18. (1) Subject to the provision of sub-rule (2) the appointing authority shall make the appoinments by taking the name of candidates in the order, in which they stand in the list prepared under rule 16(c) and 16(d) as case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotions, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order, referred to in rule 17.

(4) The Appointing Authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the list prepared under sub-rule (1). If no candidate borne on these lists is available, he may make appointments in such vacancy from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall not last for a period exceedings one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier, and where the post is within the purview of the Commission, the Uttarakhand Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 2003 shall apply.

Probation:-

19. (1) A person on appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of one years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases, specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and, in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post,

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation:- 20. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, as the case may be, if:

(c) his work and conduct is reported to be satisfactory,

(d) his integrity is certified, and

(e) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority: - 21. The seniority of a person shall be determined according to the provisions of "Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002" as amended from time to time. If two or more persons are appointed together, the seniority of persons in any category of post shall be determined by such order in which their names are arranged in the appointment order:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it will mean the date of issue of the order.

(1) The Seniority inter se of persons appointed directly on the result or any one selection, shall be the same as determined by the Commission or, as the case may be, by Selection Committee:

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons shall be final.

(2) The Seniority inter se of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(3) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more than one source and the respective quota of the sources is prescribed, the inter se seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with Rule 20, in such manner that the prescribed percentage is maintained:

Provided that :-

(i) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, form seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota.

(ii) Where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of the year in which their appointments are made, so however, that in the combined list of that year, to be prepared under this Rule, their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order, of the other appointees.

(iii) Where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies quota.

PART VII
PAY ETC.

Scale of Pay:- 22. (1) The scales of pay admissible to person shall be as such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as appendix 'B'.

Pay during probation:- 23. (1) Notwithstanding any provisions in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, passed the departmental examination and undergone successfully the training, if any prescribed and the second increment after two years of service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant Funadamental Rules applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII
OTHER PROVISIONS

Canvassing: - 24. No recommendations, either written or oral other than those required under these rules, will be taken into consideration. Any attempt on the part of candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters:-

25. In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of Service:-

26 Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Addition of New Regulation: -

27. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates relaxed.

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes of citizens and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

APPENDIX — 'A'
[Rule 4 (2)]

S.No.	Name of Post	Number of Posts		
		Permanent	Temporary	Total
1	Additional Commissioner (Food)	2	-	2 (one post shall be from IAS/PCS cadre)
2	Joint Commissioner (Food)	2	-	2
3	Deputy Commissioner (Food)	3	-	3
4	District Supply Officer	13	-	13
5	Area Rationing Officer	61	-	61

APPENDIX — 'B'
[Rule 4 (2)]

S.No.	Name of Post	Scale of Pay		
		Name of Pay Band	Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)
1	Additional Commissioner (Food)	Pay Band - 4	37400 - 67000	8700
2	Joint Commissioner (Food)	Pay Band - 3	15600 - 39100	7600
3	Deputy Commissioner (Food)	Pay Band - 3	15600 - 39100	6600
4	District Supply Officer	Pay Band - 3	15600 - 39100	5400
5	Area Rationing Officer	Pay Band - 2	9300 - 34800	4600

By Order,

ANAND BARDHAN,

Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 19 हिन्दी गजट/265—भाग 1—2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 मई, 2017 ई0 (बैशाख 23, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल

आदेश

18 अप्रैल, 2017 ई0

पत्र संख्या 94/सा0प्रशा0/नोटिस/2017–18–वाहन संख्या यू0के0 15ए–1498 (मोटर साइकिल) का चालान 28.01.2017 को प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने आर0सी0, आई0सी0, पीयूसीसी प्रस्तुत नहीं, वाहन संचालन के समय मोबाईल प्रयोग एवं बिना हैलमेट वाहन संचालन के अभियोग में किया गया। उक्त अनियमितता के लिए प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री यतेन्द्र मैन्दोला पुत्र श्री योगेश्वर प्रसाद, निवासी ग्राम शिवपुर, झगड सिंह कालोनी, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520040028224 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 1237/सा0प्रशा0/लाइ0नोटिस/2016–17, दिनांक 31.01.2017 प्रेषित किया गया है। वाहन चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 17.04.2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520040028224 को दिनांक 18.04.2017 से दिनांक 17.07.2017 तक (तीन माह) की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

आदेश

28 अप्रैल, 2017 ई0

पत्र संख्या 123/सा0प्रशा0/नोटिस/2017–18–वाहन संख्या चैसिस संख्या MA3EJKD00A63219 का चालान 26.02.2017 को निरीक्षक सी0पी0यू0 देहरादून ने रेड लाईट जम्प एवं बिना आर0सी0 वाहन का संचालन किये जाने के अभियोग में किया गया। उक्त अनियमितता के लिए निरीक्षक सी0पी0यू0 देहरादून ने वाहन चालक श्री विशाल पुत्र श्री देवेन्द्र रस्तोगी, निवासी रेलवे लाईन वार्ड नं0 05, तहसील कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0 1520150032195 के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्स धारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 69/सा0प्रशा0/लाइ0नोटिस/2016–17, दिनांक 15–04–2017 प्रेषित किया गया है। वाहन चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 21–04–2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520150032195 को दिनांक 21.04.2017 से दिनांक 20.07.2017 (तीन माह) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2017 ई0

पत्र संख्या 124/सा0प्रशा0/नोटिस/2017–18–मार्ग चैकिंग के दौरान वाहन संख्या यू0ए0 07एल–4543 (एम0जी0वी0) का चालान प्रवर्तन अधिकारी पौड़ी ने वाहन की बाडी से 08 फीट ऊपर माल लदा है तो कि खतरनाक संचालन है। उक्त अनियमितता के लिए प्रवर्तन अधिकारी पौड़ी ने वाहन चालक श्री कुलदीप रावत पुत्र श्री ताजबर सिंह, निवासी ग्राम जुयाल गाँव तहसील लैन्सडौन जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0 1520110012470 के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्स धारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 70/सा0प्रशा0/लाइ0नोटिस/2016–17 दिनांक 15–04–2017 प्रेषित किया गया है। वाहन चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 21–04–2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520110012470 को दिनांक 21.04.2017 से दिनांक 20.07.2017 (तीन माह) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2017 ई0

पत्र संख्या 125/सा0प्रशा0/नोटिस/2017–18–वाहन संख्या यू0के0 12टीबी–0966 का चालान थानाध्यक्ष लक्ष्मणझूला ने दिनांक 09.03.2017 को वाहन में स्वीकृत 09 के स्थान पर 20 सवारियाँ बैठाने के अभियोग में किया गया जो कि जनसुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है। उक्त अनियमितता के लिए थानाध्यक्ष लक्ष्मणझूला ने वाहन चालक श्री पपेन्द्र सिंह पुत्र श्री अरविन्द सिंह, निवासी नाली बडोली, उदयपुर वल्ला–2 पो0 ठांगर तहसील यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0 1420150085245 के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्स धारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 74/सा0प्रशा0/लाइ0नोटिस/2016–17, दिनांक 15–04–2017 प्रेषित किया गया है। वाहन चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 21–04–2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1420150085245 को दिनांक 21.04.2017 से दिनांक 20.07.2017 (तीन माह) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2017 ई0

पत्र संख्या 126/सा0प्रशा0/नोटिस/2017–18–वाहन संख्या यू0के0 11सीए–1575 (जनभार वाहन) का चालान 28–02–2017 को परिवहन कर अधिकारी–प्रथम ऋषिकेश वाहन में 2730 किग्रा0 माल ओवरलोड कर जमा का प्रमाण प्रस्तुत न किये जाने एवं प्रेशर हार्न का प्रयोग किये जाने के अभियोग में किया गया। उक्त अनियमितता के लिये परिवहन कर अधिकारी–प्रथम ऋषिकेश ने वाहन चालक श्री रवि थापा पुत्र श्री नीम बहादुर थापा, निवासी गिवांई श्रोत तहसील कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0 1520140031841 के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्स धारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 1491/सा0प्रशा0/लाइ0नोटिस/2016–17, दिनांक 17–03–2017 प्रेषित किया गया है। वाहन चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 25–04–2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520140031841 को दिनांक 25.04.2017 से दिनांक 24.07.2017 (तीन माह) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

रावत सिंह,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
कोटद्वार गढ़वाल।

कार्यभार मुक्त प्रमाण–पत्र

17 अप्रैल, 2017 ई0

पत्रांक 143 (VI)/I–3–2014–प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की अधिसूचना संख्या 59/UHC/Admin.A/2017, दिनांक 16 मार्च, 2017 के अनुपालन में मेरे द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ का कार्यभार आज दिनांक 15–04–2017 के अपराह्न में छोड़ा गया।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0/– (अस्पष्ट)
जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़

प्रतिभा तिवारी,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पिथौरागढ़।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़

कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र

18 अप्रैल, 2017 ई0

पत्रांक 145/I–2–2017–प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की अधिसूचना संख्या 60/UHC/Admin.A/2017, दिनांक 16 मार्च, 2017 के अनुपालन में मेरे द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ का कार्यभार आज दिनांक 18–04–2017 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0/– (अस्पष्ट)
प्र0 जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

कुलदीप शर्मा,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पिथौरागढ़।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/265–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।